संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक / शा–1 / विविध / 2857 / 13 रायपुर, दिनांक

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम
   छत्तीसगढ़

2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक स्तर में कार्यरत समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

––00––

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशानुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापनरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को समय–सीमा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु दुरस्थ शिक्षा से डी.एड. प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ द्वारा विगत वर्ष से संचालित किया जा रहा है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4086 दिनांक 12.08.2013 द्वारा प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु कतिपय बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त पत्र दिनांक 12.08.2013 की छायाप्रति संलग्न है। उल्लेखित बिन्दुओं का सुक्ष्मता से अवलोकन करते हुए अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

7220
30-09-13

19/09/13

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / शा–1 / विविध / 2857 / 13 4808 रायपुर, दिनांक 23.9.13

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़, शंकर नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

19/09/13

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

AD

28/9

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / शि.शाला / 593 / 2013–14 / 7736 रायपुर, दिनांक 23/9/13

प्रति

सहायक आयुक्त,(19 जिले)
आदिवासी विकास,
जिला ....((छ0ग0)

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् प्रारंभिक स्तर में कार्यरत समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

---00---

विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशानुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापनरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को 05 वर्ष की समय सीमा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य के दूरस्थ शिक्षा से डी.एड. प्रशिक्षण एस.सी.ई.आर.टी व्दारा विगत वर्ष से संचालित किया जा रहा है । विगत वर्ष राज्य में 10000 शिक्षकों को पंजीकृत किया गया था । इस बर्ष लगभग 28000 पंजीकृत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है । इस हेतु 135 अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं । आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी ।

इन अध्ययन केन्द्रों में अधिकांश केन्द्र शासकीय हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल है तथा प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षण देने हेतु उसी स्कूल अथवा समीपस्थ स्कूलों के 12 से 14 शिक्षकों को स्रोत व्यक्ति के रूप में विकसित किया गया है । इन स्रोत व्यक्तियों को संपर्क कार्यक्रम एवं एस.सी.ई. आर.टी व्दारा आयोजित प्रशिक्षणों में कार्यमुक्त करने हेतु कई स्तरों से बाधाएं आती है । इस संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के पत्र कमांक 4082 दिनांक 12.082013 व्दारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं । जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गई है ।(छायाप्रति संलग्न)

अतएव निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पालन करना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

AD
28/9

(एम0एस0 परस्ते)
आयुक्त 18/9/13
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

ODL

क्रमांक / शि.शाला / 593 / 2013–14 / 7737 रायपुर, दिनांक 23/9/13

प्रति,

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकरनगर, रायपुर की ओर अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 4220 दिनांक 23.08.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

28/9

अनुसंधान ... 4225 ... 30/9/13

आयुक्त 18/9
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर